भारत सरकार

गृह मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 5200

दिनांक 03.12.2019/ 12 अग्रहायण, 1941 (शक) को उत्तर के लिए

एकीकृत नंबर 112

†2500. श्री विनायक भाऊराव राऊतः
श्री ए.के.पी. चिनराजः
श्री हेमन्त पाटिलः
श्री श्रीरंग आप्पा बारणेः

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या 100 (पुलिस), 101 (अग्नि सुरक्षा और बचाव) और 108 (एंबुलेंस), 181 (महिला और बाल देखभाल) इत्यादि जैसे सभी वर्तमान आपातकालीन नंबरों को एक समान नंबर 112 में समेकित किया जाएगा और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) इमरजेंसी रेसपांस सिस्टम सपोर्ट (ई.आर.एस.एस-डायल 112) सिस्टम की मुख्य विशेषताएं क्या हैं और इसकी विशेषताएं और उद्देश्य क्या हैं;

(ग) क्या यह प्रणाली मुख्य रूप से महिलाओं और बच्चों के विरुद्ध अपराध में वृद्धि में कमी/रोकथाम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए बनाई गई है और यदि हां , तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने समुदाय संरक्षी पॉलिसिंग को सुदृढ़ बनाने की पहल शुरू की है जिससे संकटग्रस्त कॉलरों में भ्रम की स्थिति खत्म होगी और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार ने इस संबंध में जागरूकता फैलाई है ताकि यह एकल आपातकालीन नंबर '112' प्रत्येक ग्रामीण गांव तक पहुंचे और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) सरकार द्वारा मूल्यवान सार्वजनिक सेवा प्रदान करने और प्रतिक्रिया समय कम करने के लिए अन्य क्या कदम उठाए गए हैं?

लो.स.अ.ता.प्र.सं.2500

उत्त2र

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जी किशन रेड्डी)

(क) से (ग): आपात कार्रवाई सहायता प्रणाली (ईआरएसएस) विभिन्न आपात स्थितियों में संकट में पड़े व्यक्ति तक कंप्यूटर की सहायता से फील्ड संसाधनों को पहुंचाने के लिए पूरे भारत में, एकल, अंतर्राष्ट्रीय तौर पर मान्य नम्बर अर्थात 112 आधारित एक आपात कार्रवाई व्यवस्था प्रदान करती है। यह सेवा फोन, एसएमएस, ई-मेल और 112 इंडिया मोबाइल एप के माध्यम से उपलब्ध है जिसमें महिलाओं और बच्चों की अतिरिक्त सुरक्षा के लिए शाउट (एसएचओयूटी) सुविधा शामिल है। ईआरएसएस को 27 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में प्रचालन में लाया गया है।

(घ) से (च): भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची के तहत 'पुलिस' और 'लोक व्यवस्था' राज्य के विषय हैं। अपने संबंधित क्षेत्राधिकार में कानून और व्यवस्था को बनाए रखने तथा नागरिकों की जान और माल की रक्षा करने का उत्तरदायित्व राज्यों का है। विभिन्न राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों ने सक्रिय सामुदायिक पुलिस व्यवस्था की सुविधा देने के लिए नागरिक केंद्रित सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए पहल विकसित और शुरू की हैं। गृह मंत्रालय और साथ ही साथ राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने प्रिंट, इलैक्ट्रानिक और डिजिटल मीडिया में 112 इंडिया मोबाइल एप सहित 112 के बारे में जागरूकता फैलाने के उपाय किये है।

******